# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

**अपील संख्या:– 12/126/2019**

अपीलार्थी:–

श्री विनय गुप्ता निवासी 23 बी ब्लॉक के पास बुध विहार अलवर।

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांक:– 04.11.2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 04.09.2019 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 04.1.2019 को उपस्थित आवें।
3. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
4. पत्रावली का अवलोकन किया।. लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2342–43 दिनांक 24.10.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 के संबंध में कोषाधिकारी, अलवर को संदर्भित पत्रांक भिजवाते हुए वांछित सूचना संबंधी दस्तावेजों का आवेदक को अवलोकन कराया जाकर दस्तावेज आवेदक द्वारा चिन्हित कराया जाकर सूचना अविलम्बन उपलब्ध करावें। अपीलार्थी को वांछित बिन्दूओं का दस्तावेजात का निरीक्षण नही कराया गया है। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को दस्तावेजात का निरीक्षण नही कराया, जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है किया कि प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें, साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र के अनुसार अपीलार्थी अवलोकन हेतु उपस्थित नहीं होता है तो अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र पुनः भेजकर अपने कार्यालय में आमंतित्र कर सूचना आवेदन के अनुसार कार्यालय में संधारित रिकार्ड का निरीक्षण करावें, यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक **04.11.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलेक्टर,अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)